न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 19 / 2022 (राजसमन्द आर्डर)

1. माधु पिता जेता जी बलाई, निवासी मियाला, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द।
2. सुरेश कुमार दत्तक पुत्र रूपा जी बलाई, निवासी मियाला, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

नैनु पिता तेजा जी बलाई, निवासी मियाला, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्त0 अधि0 – 1955 विरूद्ध निर्णय
उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ दिनांक
27.07.2022 प्रकरण संख्या 16/2017

———::———

उपस्थित :– 1– श्री अक्षय पालीवाल अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री गिरीशचन्द्र पुरोहित अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

———::———

निर्णय दिनांक 21–09–2023

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम मियाला में आराजी नंबर 2687 / 2290, 2862 / 2290 कुल किता 2 रकबा 9 बीघा भूमि स्थित है, जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी के नाम दर्ज है। उक्त भूमि बिलानाम थी, जिस पर वादीगण के पिता का कब्जा था तथा सम्पूर्ण भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी अपने पिता के समय से काबिज चले आ रहे हैं। वादीगण व प्रतिवादी तेजा के वारिस होकर प्रत्येक का 1 / 3, 1 / 3 हिस्सा है, परन्तु प्रतिवादी के मन में खोट हो जाने से वादीगण के बिना जानकारी के अकेले के नाम आवंटित करवा खातेदारी दर्ज करवा ली, जबकि कब्जा आज भी वादीगण व प्रतिवादी का अपने–अपने हिस्से की भूमि पर चला आ रहा है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर विवादित आराजियात के 1 / 3 हिस्से का वादी संख्या 1 को, 1 / 3 हिस्से का वादी संख्या 2 का तथा 1 / 3 हिस्से का प्रतिवादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रेकार्ड से प्रतिवादी का नाम विलोपित किया जाकर प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादी द्वारा आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर दिनांक 27–07–2022 से प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. स्वीकार का वादीगण का वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:52:33 IST
Reason: SelfAttested

खारिज कर दिया, जिससे होकर रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण ने यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 20–09–2022 को प्रस्तुत की।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट की ओर से वकील श्री गिरीशचन्द्र पुरोहित उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 का अवलोकन करने से ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 की परिभाषा में नहीं आता है, क्योंकि इसमें 5 बिन्दु हैं, जिसमें से किसी का भी उल्लेख प्रार्थना पत्र में नहीं है। जब अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी कायम कर दी गयी थी तो उस पर साक्ष्यों के आधार पर तनकीवार निर्णय पारित करना चाहिए था। अधिनस्थ न्यायलय ने केवल निर्णय पारित किया है, डिक्री नहीं बनायी। अधिनस्थ न्यायालय ने सी.पी.सी. के प्रावधानों के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे तथा अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में चाही गयी दाद उसे दिलायी जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने उक्त बहस का खण्डन करते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने साक्ष्यों के आधर पर निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 में विवादित आराजी नंबर 2687/2290, 2862/2290 कुल किता 2 रकबा 9 बीघा भूमि रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादी के खाते में अंकित है, जो उसे जरिये आवंटन प्राप्त हुई है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी के नाम आवंटन होने एवं उसका निरन्तर कब्जा होने के आधार पर प्रतिवादी का आदेश 7 नियम 11 जा. दी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलान्ट/वादीगण का वाद खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27–07–2022 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 21–09–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:52:33 IST
Reason: SelfAttested